

प्रेषक,

डा० राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला/समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : // जनवरी, 2018

विषय:-परिवीक्षा सेवा मुख्यालय अधिष्ठान हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयके आपके पत्र संख्या-3476/स0क0/लेखा-बजट/2017-18 दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 में परिवीक्षा सेवा मुख्यालय अधिष्ठान हेतु ₹ 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1362/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कौशल्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा क्योंकि उससे मासिक

आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें तो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
6. शासन द्वारा निर्गत धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व यथावश्यकता सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त की जाए।
9. अवमुक्त धनराशि आहरण-वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी०एम-17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. व्यय करने के पूर्व जिस मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
12. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी०एम०-८ (पुराना बी०एम०-13) पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह तक की व्यय बचत सूचना उपलब्ध कराया जाय।

14. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का गिलान प्रत्येक प्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235-02-103-19 की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-42/XXVII(1)/2017 दिनांक 10 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में यह बजट आवंटन अनुदान संख्या-15 के अलॉटमेंट आई0 डी0 संख्या-S1801150165 दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 897/XVII-2/2018-10(1)/2016 तददिनांकित :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

M.P.
(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
103 - महिला कल्याण
19 - परिवीक्षा सेवा मुख्यालय
00 - परिवीक्षा सेवा मुख्यालय

02 - समाज कल्याण

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | Voted |
|------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| | | | योग |
| 01 - वेतन | 3000000 | 0 | 3000000 |
| 03 - महंगाई भत्ता | 200000 | 0 | 200000 |
| 04 - यात्रा व्यय | 17000 | 0 | 17000 |
| 05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 20000 | 0 | 20000 |
| 06 - अन्य भत्ते | 197000 | 0 | 197000 |
| 07 - मानदेय | 220000 | 0 | 220000 |
| 08 - कार्यालय व्यय | 100000 | 0 | 100000 |
| 09 - विद्युत देय | 50000 | 0 | 50000 |
| 10 - प्रसन्न / जल प्रसार | 20000 | 0 | 20000 |
| 11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ | 50000 | 0 | 50000 |
| 12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 100000 | 0 | 100000 |
| 13 - टेलीफोन पर व्यय | 50000 | 0 | 50000 |
| 15 - गाड़ियों का अंतरक्षण और पेट्र | 200000 | 0 | 200000 |
| 16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा | 400000 | 200000 | 600000 |
| 17 - किराया, उपश्रालंक और कर-स्व | 300000 | 0 | 300000 |
| 18 - प्रकाशन | 17000 | 0 | 17000 |
| 19 - शिक्षापन, मिक्री और विद्यपन | 50000 | 0 | 50000 |
| 22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ | 40000 | 0 | 40000 |
| 26 - मशीनें और सज्जर / उपकरण औ | 100000 | 0 | 100000 |
| 27 - चिकित्सा ल्यय प्रतिपुर्ति | 50000 | 0 | 50000 |
| 42 - अन्य व्यय | 50000 | 0 | 50000 |
| 46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर | 70000 | 0 | 70000 |
| 47 - कम्प्यूटर अंतरक्षण/तरामन्त्री | 100000 | 0 | 100000 |
| | 5401000 | 200000 | 5601000 |

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

200000

(Signature)